



परिपत्र सं०:327 / प्रशा०-II / ए.जी.यू.के.(ले०एवंहक०)
/ ए०जी०टी०-2026 / 2026-2027 / 48

दिनांक: 09.07.2026

परिपत्र

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा खंडीय लेखाधिकारी/लेखाकार संवर्ग के सामान्य वार्षिक स्थानान्तरण प्रक्रिया सम्बन्धी जारी दिशा निर्देशों के आलोक में सभी खंडीय लेखाधिकारी/लेखाकार संवर्ग को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने प्रभार के खंडों के विगत दो वर्षों (2024-25 एवं 2025-26) के वास्तविक व्यय सम्बन्धी आंकड़े खंडीय रिकॉर्ड के अनुरूप **संलग्न प्रारूप (Annexure-A)** में भरकर इस कार्यालय को दिनांक: 13.07.2026 तक प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

हस्ता०/-

उप महालेखाकार/प्रशा०

सं०:327 / प्रशा०-II / ए.जी.यू.के.(ले०एवंहक०) / ए०जी०टी०-2026 / 2026-2027 / 432 - 436 दिनांक : 09.07.2026
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव महालेखाकार(ले.एवं.हक.), उत्तराखंड, देहरादून।
2. प्रभारी उप महालेखाकार(प्रशा०) प्रकोष्ठ, स्थानीय।
3. सभी अधिशासी अभियंता लो०नि०वि०/सिंचाई विभाग/लघु सिंचाई विभाग/ग्रामीण निर्माण विभाग/पी०एम०जी०एस०वाई०, कार्यालय वेबसाइट के माध्यम से।
4. सभी खंडीय लेखाधिकारी/लेखाकार संवर्ग के अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय वेबसाइट के माध्यम से।
5. स०ले०अ०/ITSG को कार्यालय की अधिकारिक वेबसाइट पर DA Corner पर अपलोड करने हेतु।

वरिष्ठ लेखाधिकारी/प्रशा०-II

Annexure- 'A'

Sl.No.	Financial Year	Annual Exp. Including Deposit work (if any) but excluding establishment expenditure.	Any other expenditure over which the Division has control/supervision but not routed through treasury.
1	2024-25		
2	2025-26		

अधिशसी अभियंता